रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937
No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/PHALGUNA 14, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

सा.का.नि. 279(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

(ख) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" से अधिनियम में यथा परिभाषित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अभिप्रेत है;

(ग) "अवैध खनन" से किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा किसी क्षेत्र में धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित खनिज रियायत धारण किए बिना की गई कोई भूमिक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रिया अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, -

(क) खनन पट्टे के धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों से भिन्न, नहीं नियमों का उल्लंघन के अंतर्गत अवैध खनन नहीं आएगा; और

(ख) अवैध खनन की सीमा का अवधारण करते समय, किसी खनिज रियायत के अधीन अनुदत्त किसी क्षेत्र को ऐसी खनिज रियायत के धारक द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार से धारण किया हुआ क्षेत्र माना जाएगा;

(घ) "खनिज रियायत" से यथा लागू भूभीक्षण अनुज्ञापत्र, गैर-अनन्य भूभीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा, अथवा खनन पट्टा, अभिप्रेत है;

(ङ) "रेलवे" तथा "रेलवे प्रशासन" के वह अर्थ होंगे जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में क्रमशः उनके हैं;

(च) "खान साधारण" से किसी पट्टा क्षेत्र के खनिजीकृत जोन से, विस्फोटन अथवा खुदाई के पश्चात् उसकी प्राकृतिक अवस्था में अभिप्राप्त कच्ची अप्रसंस्कृत अथवा असंदलित सामग्री अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "पूर्वेक्षण स्कीम" से खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुपालन में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रूप विधान में तैयार स्कीम अभिप्रेत है;

(झ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) 'प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य' से न -

(i) ऐसे खनिज संसाधनों के जिनके लिए, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अथवा खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है, मीट्रिक टन में अभिव्यक्त अनुमानित परिमाण; और

(ii) अनुमानित संसाधनों के मूल्य की संगणना के माह से ठीक पहले के बारह माह की अवधि के लिए सुसंगत राज्य हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित ऐसे खनिज की प्रति मीट्रिक टन औसत कीमत; के गुणनफल के बराबर राशि अभिप्रेत है

(2) उन शब्दों और पदों का जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है; वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए हैं।

3. **लागू होना.**—ये नियम (i) धारा 3 के खंड (ङ.) के अधीन परिभाषित गौण खनिजों; और (ii) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-क और भाग-ख में सूचीबद्ध खनिजों के सिवाय सभी खनिजों को लागू होंगे।

4 **'1962 के अधिनियम 33 की व्यावृति'**.–इन नियमों की कोई बात परमाणु ऊर्जा अधिनियम,1962 (1962 का 33) के तथा उसके अधीन की प्रथम अनुसूची के भाग-ख में सूचीबद्ध परमाणु खनिजों से संबंधित अनुज्ञापन के संबंध में बनाए गए नियमों के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय-2 : खनिज रियायतों के विद्यमान धारकों के अधिकार

5. संवीक्षण अनुज्ञापत्र के धारक के अधिकार (1) जनवरी 12, 2015 से पूर्व अनुदत्त संवीक्षण अनुज्ञापत्र का धारक, धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को भूभीक्षण अनुज्ञापत्र की समाप्ति के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर अथवा छह माह से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा उपनियम (4) के अनुसरण में बढ़ाई जाए आवेदन कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, आवेदक को, उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की प्राप्ति की पावती अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में, आवेदन की प्राप्ति के तीन दिन की अवधि के भीतर भेजेगी :

परंतु ऐसे भूभीक्षण अनुज्ञापत्र का धारक से, जिसने इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को पहले ही आवेदन कर दिया है, नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा और उसके लंबित आवेदन को उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के अध्यधीन इस नियम के अधीन किया गया आवेदन माना जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदनों के साथ, उस क्षेत्र जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, आनुपातिक आधार पर एक हजार रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी।

(4) धारा 10क की उप-धारा(2) के खंड (ख) के उपखंड (iv) के अनुसरण में, भूभीक्षण अनुज्ञापत्र का धारक, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करके उपनियम(1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन की प्रस्तुति के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध कर सकेगा जिसे राज्य सरकार उसके प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वीकार अथवा नामंजूर करेगी।

(5) राज्य सरकार को, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा ।

(6) राज्य सरकार अपना यह समाधान करने पर कि धारा 10क की उप-धारा(2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है, सम्यक रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर,-

(क) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने संबंधी अपने विनिश्चय को आदेश के माध्यम से संसूचित करेगी; अथवा

(ख) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने हेतु पूर्व अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन अग्रेषित करेगी ।

(7) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त ऐसे आवेदनों की दशा में, जिनके संबंध में धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और किए जाने वाले कारणों से आवेदक को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने से उसके द्वारा इनकार किए जाने की संसूचना दे सकेगी ।

(8) जहां उपनियम (6) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की इच्छा की गई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय राज्य सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

(9) राज्य सरकार, उपनियम (6) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने या अनुदत्त किए जाने से इनकार किए जाने के केंद्रीय सरकार के विनिश्चय को, लिखित आदेश के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगी ।

(10) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए उपनियम (6) के खंड (क) अथवा उपनियम (9) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर, ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवेदक, -

(क) पूर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारंभ किए जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञापत्र, निराक्षेप अभिप्राप्त करेगा;

(ख) पूर्वेक्षण की स्कीम प्रस्तुत करेगा; और

(ग) अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.25% के बराबर की रकम हेतु, राज्य सरकार को अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक प्रत्याभूति के रूप में अथवा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा, और श्रेणी कार्यपालन प्रतिभूति को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा ।

(11) राज्य सरकार उपनियम (10) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के नब्बे दिन के भीतर अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में आवेदन के साथ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित करेगी, और यदि आवेदक की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसी कोई अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित नहीं की जाते है तो राज्य सरकार अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के आदेश को वापस ले सकेगी और उपनियम (3) के अधीन फीस जमा किए जाने की दशा में वह राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(12) राज्य सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।

(13) कुल अवधि के, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई हैं, प्रारंभ की तारीख, उपनियम (11) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादित किए जाने की तारीख होगी ।

6. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण- (1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण का आवेदन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के नब्बे दिन पहले किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित कथन संलग्न होगा-

(क) नवीकरण की ईप्सा के कारण;

(ख) धारा 18 के अधीन बनाए नियमों के अधीन विहित रूप विधान में आवेदक द्वारा आरंभ की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं की ब्यौरेवार रिपोर्ट;

(ग) उपगत व्यय का ब्यौरा;

(घ) उन कार्य दिवसों की संख्या, जिनमें कार्य किया गया; और

(ङ) पूर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अवधि का औचित्य ।

(2) राज्य सरकार, अनुसूची 2 में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक को नवीकरण आवेदन की प्राप्ति की पावती, उसके प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर भेजेगी ।

(3) उपनियम(1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदनों के साथ उस क्षेत्र के, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, आनुपातिक आधार पर एक हजार रुपए प्रति वर्ग कि.मी. की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) राज्य सरकार, उपनियम (1) में विहित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की प्रस्तुति में के विलंब को माफ कर सकेगी :

परंतु यह तब जबकि नवीकरण के लिए आवेदन, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया हो ।

(5) राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी आवेदन का निपटारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा ।

7. **खनन पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक के अधिकार.**–(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक जिसे (i) 12 जनवरी, 2015 के पूर्व, अथवा (ii) धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा किए जाने पर, नियम 5 के अनुसरण में अनुदत्त की गई है, अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने हेतु राज्य सरकार को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, अथवा छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, आवेदक को उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की प्राप्त की पावती आवेदन के प्राप्त होने की तीन दिन की अवधि के भीतर, अनुसूची 2 में भेजेगी :

परंतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक से, जिसने खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व किया हो, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के अध्यधीन नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन के साथ खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र पर आनुपातिक आधार पर पांच लाख रुपए प्रति वर्ग कि. मी. उप प्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, विद्यमान पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करके उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन की प्रस्तुति हेतु समय बढ़ाए जाने का अनुरोध कर सकेगा । राज्य सरकार ऐसे अनुरोध को उसके प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उसे स्वीकार अथवा नामजूर करेगी ।

(5) राज्य सरकार को उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज अथवा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है ।

(6) राज्य सरकार अपना यह समाधान करने पर कि धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है, सम्यक रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, -

(क) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी खनिज के लिए खनन पट्टे अनुदत्त करने संबंधी अपने विनिश्चय को आदेश के माध्यम से संसूचित करेगी; अथवा

(ख) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के लिए खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने हेतु पूर्व अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन अग्रेषित करेगी ।

(7) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त ऐसे आवेदनों की दशा में, जिनके संबंध में धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों को अनुपालन नहीं किया गया है, राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और आवेदक को संसूचित करने के पश्चात् खनन पट्टा अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगी ।

(8) जहां उपनियम (6) के खंड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की ईप्सा की गई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन संबंधी आवेदन का निपटारा ऐसे आवेदन प्राप्त करने की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय राज्य सरकार को सम्यक रूप से संसूचित किया जाएगा ।

(9) राज्य सरकार, उपनियम (8) के अनुसार, केंद्रीय सरकार के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने या अनुदत्त किए जाने से इनकार किए जाने के केंद्रीय सरकार के विनिश्चय को लिखित आदेश के माध्यम से आवेदक को संसूचित करेगी । -

(10) खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए उपनियम (6) के खंड (क) अथवा उपनियम (9) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर, ऐसे खनन पट्टे का आवेदक, -

(क) खनन संक्रियाएं प्रारंभ किए जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञापत्र, निक्षेप पत्र अभिप्राप्त करेगा;

(ख) अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50% के बराबर राशि हेतु राज्य सरकार को बैंक प्रत्याभूति के रूप में या प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रूप विधान के अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति करेगा, जिस निष्पादन सुरक्षा को खान विकास और उत्पादन करार के निबंधनों और शर्तों और खनन पट्टा विलेख के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा, कार्यपालन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा जोकि यह अनुमानित संसाधनों के पुन: निर्धारित मूल्य के 0.50% राशि के सदृश बनी रहे;

(ग) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट खनन योजना के संबंध में शर्तों पूरा करेगा; और

(घ) इस उपनियम के खंड (क), खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधान के अनुसार राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

(11) राज्य सरकार उपनियम (10) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के नब्बे दिन के भीतर अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में आवेदक के साथ खनन पट्टा विलेख निष्पादित करेगी, और यदि आवेदक की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसी कोई विलेख निष्पादित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार पट्टा अनुदत्त करने के आदेश को वापस ले सकेगी और उपनियम (3) के अधीन फीस जमा किए जाने की दशा में वह राज्य सरकार के समपहृत हो जाएगी ।

(12) राज्य सरकार, लेखबद्ध और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों करने से खनन पट्टे अनुदत्त किए जाने के समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।

(13) उप-नियम (11) के अधीन निष्पादित खनन पट्टा उसके निष्पादन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्टर किया जाएगा और उस अवधि के, जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है, प्रारंभ की तारीख वह होगी जिस को सम्यक रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख रजिस्टर किया जाता है ।

8. धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन अधिकार - (1) आवेदक, जिस के पक्ष में, -

(क) राज्य सरकार ने उन खनिजों के लिए जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए, 12 जनवरी, 2015 से पूर्व लिखित में आशय पत्र (चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो) जारी किया है; अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार ने, उन खनिजों के लिए जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट हैं, खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्व अनुमोदन, 12 जनवरी, 2015 से पूर्व लिखित में संसूचित किया है ।

राज्य सरकार को, स्थास्थिति जिसमें अथवा आशय पत्र में वर्णित शर्तों अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तों का अनुपालन, किए जाने संबंधी पत्र प्रस्तुत करेगा; और राज्य सरकार आवेदक को अनुपालन पत्र की प्राप्ति की पावती उसके प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर अनुसूची 2 में भेजेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुपालन पत्र की प्राप्ति के पश्चात्, राज्य सरकार, यथास्थिति, आशय पत्र या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तों के पूरा होने की पुष्टि के अध्यधीन ऐसे पत्र की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने संबंधी आदेश जारी करेगी :

परंतु (i) राज्य सरकार द्वारा जारी आशय पत्र, अथवा (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और आवेदन को संसूचित किए जाने वाले

कारणों से अनुपालन पत्र की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, आशय पत्र या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में वर्णित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने से इंकार कर सकेगी, ।

(3) उपनियम (2) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने का आदेश जारी किए जाने पर, आवेदक, -

(क) अनुमानित समाधनों के मूल्य के 0.50% के बराबर राशि हेतु राज्य सरकार को अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक प्रत्याभूति के रूप में अथवा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा जिस कार्यपालन प्रतिभूति को भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र भाग 1, खंड 1, तारीख 2 जुलाई, 2015 में प्रकाशित खान विकास और उत्पादन करार के और खनन पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा । कार्यपालन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिससे कि यह अनुमानित संसाधनों के पुन: निर्धारित मूल्य के 0.50% के संदृश बनी रहे; और

(ख) इस उपनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधान में राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) जहां उपनियम (2) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है वहां अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में आवेदक के साथ खनन पट्टा निष्पादित किया जाएगा तथा 11 जनवरी, 2017 को अथवा उससे पहले रजिस्टर किया जाएगा, जिसके न किए जाने पर, धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऐसे आवेदक खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने संबंधी का अधिकार समपहृत हो जाएगा तथा ऐसे मामलों में राज्य सरकार के लिए इस संबंध में कोई भी आदेश जारी करना आज्ञापक नहीं होगा ।

(5) राज्य सरकार, लेखबद्ध किए जाने तथा आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकेगी ।

(6) उस अवधि के जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिसको सम्यक रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

अध्याय 3 : नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनिज रियायतें

9. नीलामी के माध्यम से अनुदत्त संयुक्त अनुज्ञप्ति और खनन पट्टा (1) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन सफल बोलीदाता को अनुदत्त संयुक्त अनुज्ञप्ति का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख, अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में होगा ।

(2) खनन पट्टा विलेख द्वारा,

(क) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 10 के उपनियम (6) के अधीन सफल बोलीदाता द्वारा; अथवा

(ख) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 18 के उपनियम (8) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा;

अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में निष्पादित किया जाएगा ।

10. संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण - (1) पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूरा करने के प्रयोजन से संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रक्रम के समाप्त होने के कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऐसा विवरण संलग्न किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा -

(क) नवीकरण की ईप्सा के कारण;

(ख) धारा 18 के अधीन नियमों के अधीन विहित रूप विधान में आवेदक द्वारा आरंभ की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं की ब्यौरे-वार रिपोर्ट;

(ग) उपगत व्यय का ब्यौरा;

(घ) उन कार्य दिवसों का संख्या जिनमें कार्य किया गया; और

(ङ.) पूर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अवधि का औचित्य ।

(2) राज्य सरकार, नवीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर, अनुसूची 2 में आवेदक को नवीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त होने की पावती भेजेगी ।

(3) ऐसे आवेदन के साथ, उस क्षेत्र की, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण किए जाने संबंधी आवेदन किया गया है, आनुपातिक आधार पर एक हजार प्रति वर्ग किलोमीटर की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी ।

(4) राज्य सरकार, उपनियम (1) में विहित समय सीमा के पश्चात्, संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगी, परंतु यह तब जबकि नवीकरण के लिए आवेदन, संयुक्त अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया हो।

(5) राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी आवेदन का निपटारा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

अध्याय 4 : खनिज रियायतों के निबंधन और शर्तें

11. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें - (1) प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी अथवा संयुक्त अनुज्ञप्तिधारी, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा : -

(क) अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए : -

(i) बिना किसी संदाय के अनुसूची 8 के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर खनिजों की ऐसी मात्रा; अथवा

(ii) अधिनियम की द्वितिय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामित्व के संदाय पर अनुसूची 8 के स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अनधिक खनिजों की ऐसी मात्रा,

प्राप्त कर सकेगा और साथ ले जा सकेगा :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में चूना पत्थर के उपयोग की जांच करने के लिए उसकी 500 टन से अनधिक की किसी भी मात्रा को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामित्व का भुगतान करने पर, वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्राप्त कर सकेगा और साथ ले जा सकेगा :

परंतु यह और कि यदि इस खंड में विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक मात्रा प्राप्त की जाती है और साथ ले जाई जाती है, तो राज्य सरकार प्राप्त और साथ ले जाए गए खनिज की अधिक मात्रा का मूल्य को वसूल कर सकेगी तथा धारा 21 के अधीन शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगी;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार के लिखित अनुज्ञा से रासायनिक, धातुकर्मीय, अयस्क मज्जीकरण और अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामित्व का संदाय करने पर अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में खनिज ले जा सकेगा।

(ग) यदि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति धारण करने वाली अनुज्ञप्तिधारी अवैध खनन के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तथा किसी भी न्यायालय का कोई ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसमें ऐसे दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबित रखने के लिए किसी भी न्यायालय में ऐसे दोषसिद्धि के विरूद्ध मामला अपील में लंबित नहीं हो, तो राज्य सरकार ऐसी किसी भी अन्य कार्यवाही पर जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगी और संपूर्ण कार्यपालन प्रतिभूति अथवा उसके कुछ भाग को समपहृत कर सकेगी;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज का पता लगाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे खनिजों के लेन-देन हेतु परमाणु अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को आवेदन करेगा और परमाणु ऊर्जा विभाग, इस संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करेगा; -

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वेक्षण संक्रियाओं से प्रभावित भूमि को जहां तक संभव हो, यथापूर्व स्थिति में लाएगा;

(च) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के, जिनके अंतर्गत धारा 18 के अधीन बनाए गए नियम भी हैं, उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(छ) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाओं पर उपगत सभी खर्चों तथा ऐसी संक्रियाओं के दौरान अभिप्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और उनके प्रेषण की अन्य विशिष्टियों का भी शुद्ध और सही लेखा बनाए रखेगा;

(ज) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वेक्षण संक्रियाओं को प्रभावी रूप से करने और उसमें नियोजित कर्मकारों के लिए, यथा आवश्यकता ऐसे प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि पर किसी भी नाली; जल सरणी, अथवा जल क्षेत्र को बनाने और उसका प्रयोग करने के लिए, यथास्थिति, उपायुक्त अथवा कलेक्टर के लिखित पूर्वानुमोदन से ही झाड़-झंखाड़, शाखाओं और पेड़ों को काट सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी, सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा उपयोग, खेती वाली भूमि, भवन अथवा मवेशियों के लिए पानी के स्थान को की जाने वाली ऐसे जल की आपूर्ति कम नहीं होगी अथवा बाधित नहीं होगी और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसकी पूर्वेक्षण संक्रियाओं से झरने, जल स्रोत अथवा कुएं गंदे अथवा प्रदूषित न हों ;

(झ) अनुज्ञप्तिधारी को, अपनी पूर्वेक्षण संक्रियाओं को प्रभावी रूप से करने अथवा उसमें कर्मकारों के नियोजन के लिए जैसे उचित और आवश्यक समझा जाए, उक्त भूमि पर ऐसे सभी अस्थायी झोपड़ियां, शेड, ढांचे, भाप वाले और अन्य इंजन, मशीनरी, सुविधाएं, असबाब और चीज़ बस्त को बनाने और लाने का अधिकार होगा;

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति की समाप्ति अथवा पर्यवसान पर अथवा उससे पहले, उस भूमि के मामले को छोड़कर जिस पर खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है, अनुज्ञप्ति की समाप्ति अथवा पर्यवसान के अथवा भूमि का परित्याग करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, के पश्चात् छह मास के भीतर, यथास्थिति, उपायुक्त अथवा कलेक्टर द्वारा अपेक्षित सीमा तक, भूमि में किए गए किसी भी बोर (छिद्र) को अच्छी तरह से बंद करेगा अथवा किन्हीं छिद्रों अथवा उत्खनन को, जो उस भूमि पर किए गए हों, भरेगा अथवा उस पर बाड़ लगाएगा । अनुज्ञप्तिधारी, उसकी पूर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुई भूमि की सतह और उस पर के सभी भवनों का भी पुन: स्थापन करेगा । परंतु ऐसी भूमि अथवा ऐसे किसी भी भवन का पुन: स्थापन करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके संबंध में उसके द्वारा पूरा और उचित प्रतिकर पहले ही सदत्त कर दिया गया हो;

(ट) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसके अधीन अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा अथवा उसे अनुज्ञप्ति का भंग नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी असफलता को सुसंगत सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण हुआ माना जाता है । अपरिहार्य घटना के कारण, इसके अधीन अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विलंब हुए किसी की दशा में, ऐसे विलंब की अवधि को इन नियमों अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा ।

इस खंड में "अपरिहार्य घटना" पर से अभिप्रेत है ऐसा दैवकृत, युद्ध, विप्लव, बल्वा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तूफान, ज्वारीय लहरें, बाढ़, तडित चालन, विस्फोट, आग, भूकंप और कोई अन्य घटना, जिसे अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त रूप से देर रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता है; और

(ठ) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति, समाप्ति अथवा पर्यवसान पर अथवा पूर्वेक्षण संक्रियाओं का परित्याग करने पर, इनमें से जो भी पहले हो, अपने खर्च पर उक्त भूमि पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाए अथवा लगाए गए/लाए गए, सभी भवनों, ढांचों, संयंत्रों, इंजनों, मशीनरी, उपकरणों, बर्तनों और अन्य संपत्ति को शीघ्रता से हटाने के साथ ही साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त भूमि से प्राप्त और उस पर स्थित सभी खनिजों को हटाएगा, परंतु उक्त भूमि के किसी भी भाग से उपर्युक्त में से किसी को भी हटाना अपेक्षित नहीं होगा, जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के बने रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त किसी खनन पट्टे में समाविष्ट हों;

(2) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे किसी खनिज की, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं खोज को राज्य सरकार को, ऐसे खोज की तारीख से साठ दिन के भीतर रिपोर्ट करेगा; और ऐसी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप नए खोजे गए नए खनिज, सिवाय जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-क और भाग-ख में निर्दिष्ट हैं, संयुक्त अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा;

परंतु नीलामी से भिन्न रूप में अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक को खोजे गए खनिज पर कोई अधिकार नहीं होगा और इस खनिज को अनुज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(3) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा सयुक्त अनुज्ञप्ति में ऐसी अन्य शर्तें, जो राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) उस भूमि को नुकसान के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, प्रतिकर;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य पक्षकार को धारित किसी नुकसान, क्षति अथवा विघ्न के लिए किए गए दावे के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति;

(ग) बिना कब्जे वाली और अनारक्षित सरकारी भूमि पर वृक्षों के गिराने पर निर्बंधन;

(घ) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रतिबद्ध क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं पर निर्बंधन;

(ङ) वन भूमि में संक्रियाएं;

(च) अधिकृत भूमि पर प्रवेश संबंधी शर्तें;

(छ) अनुज्ञप्त क्षेत्र अथवा पार्श्वस्थ क्षेत्रों में अन्य खनिजों पर कार्य करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं;

(ज) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन के क्षेत्र से उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित सिविल वाद अथवा याचिकाएं फाइल करना;

परंतु संयुक्त अनुज्ञप्ति की दशा में, राज्य सरकार, संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी संबंधी निविदा दस्तावेज में उन शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अथवा केंद्रीय सरकार के कहने पर ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो खनिजों के संरक्षण और विकास के हित में आवश्यक हों ।

(5) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति के किसी धारक पर अधिरोपित किसी शर्त के भंग की दशा में, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगी और/अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा जमा की गई कार्यपालन प्रतिभूति की पूरी राशि अथवा उसका कुछ भाग, जैसे लागू हो, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए बने नियमों के अधीन समपहृत कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश अनुज्ञप्तिधारक को उसका पक्ष रखने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(6) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र उस न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिसके लिए नियम 12 के उपनियम (5) के अनुसार खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकता है और अधिकतम क्षेत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को यथा लागू धारा 6 के अनुसार होगा ।

12. खनन पट्टे के निबंधन और शर्तें (i) प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, -

(क) पट्टेदार द्वारा इन नियमों के अध्ययन 13 के अधीन में किए जाने वाले संदायों के अतिरिक्त पट्टे के पहले वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसा वार्षिक अनिवार्य किराया संदत्त करेगा और यदि पट्टे में उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों पर कार्य करने की अनुज्ञा दी गई है तो राज्य सरकार प्रत्येक खनिज के संबंध में पृथक् अनिवार्य किराया प्रभारित नहीं करेगी :

परंतु पट्टेदार (i) सभी खनिजों के संबंध में संपूर्ण स्वामित्व; अथवा (ii) अधिनियम की तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अनिवार्य किराए, इनमें से जो भी अधिक हो, का, जो उच्चतम मूल्य वाले खनिज के लिए विहित हो, संदाय करने के दायित्वाधीन होगा;

(ख) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए गए सतही क्षेत्र के लिए भू-राजस्व से अनधिक ऐसी दर पर सतही किराया और जल रेट तथा भूमि पर निर्धारित ऐसे जल उपकर का भी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करेगा;

(ग) पट्टेदार खनन संक्रियाओं को पट्टा विलेख के निष्पादन के तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रारंभ करेगा और उसके पश्चात् ऐसी संक्रियाओं का समुचित, कौशलपूर्ण, रीति में और कुशलतापूर्वक संचालन करेगा ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए खनन संक्रियाओं के अंतर्गत मशीनरी का परिनिर्माण, ट्रामवे बिछाना, या सड़क का निर्माण करना या खनिज प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आरंभ की गई कोई अन्य संक्रिया आती है;

(घ) पट्टेदार कोई भी खनन संक्रियाएं, किसी भी रेल लाइन से पचास मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर, संबंधित रेलवे प्रशासन की लिखित पूर्व अनुज्ञा के अधीन और अनुसार या किसी भी रज्जुमार्ग या किसी भी रज्जु मार्ग ट्रेस्टल या स्टेशन के नीचे, रज्जुमार्ग का स्वामित्व रखने वाले प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अधीन और अनुसार या किसी भी जलाशय, नहर या अन्य लोक संकर्म या भवनों से, राज्य सरकार की इस निमित्त पूर्व अनुज्ञा के अधीन और अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, अन्यथा नहीं । पचास मीटर की उक्त दूरी को रेल, जलाशय अथवा नहर के मामले में, यथास्थिति तट के बाहरी पदज अथवा कटिंग के बाहरी किनारे से क्षैतिज रूप में और भवन के मामले में उसकी कुर्सी क्षेत्र से क्षैतिज में मापा जाएगा ।

(ड.) पट्टेदार, ग्राम सड़कों (राजस्व अभिलेख में ग्राम सड़क के रूप में दर्शाए गए किसी मार्ग सहित) के मामले में, उपायुक्त अथवा कलक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित समयक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही कटिंग के बाहरी किनारे के दस मीटर की दूरी के भीतर कोई किसी कार्य करने की और अन्यथा साधारण अथवा विशेष ऐसे निदेशों, निर्बंधनों और परिवर्धनों, जो ऐसी अनुज्ञा के साथ संलग्न हो, के अनुसार ही अनुज्ञा देगा, अन्यथा नहीं;

(च) पट्टेदार, ऐसा शुद्ध और सही लेखा रखेगा जिसमें (i) खान से अभिप्राप्त और प्रेषित सभी खनिजों और (ii) खान से निकाली गई व्यर्थ सामग्री की मात्रा और अन्य विशिष्टता, उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा राष्ट्रीयता और खान का पूरा रेखांक दर्शित किया गया हो और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय पर कोई लेखें, रेखांक, तथा उसके द्वारा बनाए गए अभिलेखों की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा और केंद्रीय या राज्य सरकार को ऐसी जानकारी और विवरणियां प्रस्तुत करेगा जैसी कि उसके या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए;

(छ) पट्टेदार, पट्टे के अधीन, उसके द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के अनुक्रम में, पट्टेदार द्वारा बनाई गई समस्त खाइयों, गड्ढों तथा ड्रिलों के शुद्ध अभिलेख रखेगा तथा उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुज्ञात करेगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् : -

(क) अवमृदा और वह स्तर जिससे खाइयां, गड्ढे या ड्रिलें गुजरी है;

(ख) मिले खनिजों के ब्यौरे;

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी केंद्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे;

(ज) पट्टेदार, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भवन, उत्खनन या पट्टे में समाविष्ट भूमि पर, उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने के लिए अनुज्ञा देगा;

(झ) राज्य सरकार, सभी समय, उस भूमि से, जिसके संबंध में पट्टा अनुदत्त किया गया है प्राप्त खनिजों पर अग्रक्रयाधिकार रखेगी;

परंतु अग्रक्रयाधिकार के समय, आईबीएम द्वारा यथा प्रकाशित वर्तमान औसत विक्रय कीमत का ऐसे समस्त खनिजों के लिए पट्टेदार को संदाय किया जाएगा।

(ञ) पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र के भीतर अनुप्रयुक्त या विक्रय न किए जाने योग्य उपश्रेणी के अयस्कों या खनिजों का भावी सज्जीकरण के लिए समुचित रूप से भंडारण करेगा और लेखा बनाए रखेगा।

(ट) ऐसे किसी खनिज के संबंध में, जिसको कतिपय प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग में के संबंध गौण खनिज से भिन्न खनिज के रूप में और अन्य प्रचालनों के लिए इसके उपयोग के संबंध में गौण खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है, पट्टेदार, जो इन नियमों के अधीन ऐसे खनिज के उत्खनन के लिए पट्टा धारण करता है, चाहे वह इस पट्टा विलेख में गौण खनिज से भिन्न खनिज के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है या नहीं किसी भी रीति से उस खनिज का उपयोग नहीं करेगा या विक्रय नहीं करेगा या व्यवहार में नहीं बनाएगा अथवा जानबूझकर किसी को गौण खनिज के रूप में किसी भी रीति से खनिज का उपयोग करने या विक्रय करने या उसे व्यवहार में लाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा :

परंतु यदि पट्टेदार द्वारा इस निमित राज्य सरकार को किए गए आवेदन पर राज्य सरकार का भारतीय खान ब्यूरो के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे खनिज की घटिया किस्म को देखते हुए ऐसे प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसके उपयोग के कारण इसे गौण खनिज से भिन्न खनिज कहा जा सकता है या यह कि गौण खनिज से भिन्न खनिज के रूप में ऐसे खनिज के लिए कोई बाजार नहीं है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा पट्टेदार को उस खनिज का ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति में व्ययन करने की अनुज्ञा दे सकेगी जैसा गौण खनिज के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ठ) पट्टेदार नियोजन के मामले में उन जनजातियों को व्यक्तियों को अधिमान देगा जो खनन संक्रियाएं किए जाने के कारण विस्थापित हो गए हैं;

(ड) पट्टेदार यथा संभव सीमा तक, खनन संक्रियाओं के कारण प्रभावित भूमि को यथा पूर्व स्थिति में लाएगा;

(ढ) पट्टेदार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जिसके अंतर्गत और साथ ही धारा 18 के अधीन बनाए गए नियम भी है; के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(ण) पट्टेदार, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शमशान घाट अथवा कब्रस्थान में अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा माने गए किसी पवित्र स्थल पर अथवा किसी घर, ग्राम स्थल में, सार्वजनिक सड़क अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थल घोषित किया है, कोई भवन अथवा वस्तु परिनिर्मित नहीं करेगा, रखेगा अथवा स्थापित नहीं करेगा और न ही उस पर या उसमें कोई मनहीं संक्रियाएं करेगा;

(त) पट्टेदार, उसकी संक्रियाएं इस रीति से नहीं करेगा जिससे किसी भी भवन, संकर्म, संपत्ति अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुंचे अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़े और ऐसी किसी भी भूमि का प्रयोग पट्टेदार द्वारा ऐसी मनहीं संक्रियाएं करने के लिए नहीं किया जाएगा जो पहले से ही खनन पट्टा में सम्मिलित न किए गए संकर्मों अथवा प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के अधिभोग में है ।

(थ) पट्टेदार किसी मार्गाधिकार, कुएं अथवा टैंक में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(द) पट्टेदार मनहीं संक्रियाओं के लिए ऐसी किसी भूमि का, जिसे ऐसी संक्रियाओं के लिए पहले से प्रयोग नहीं किया गया हो, प्रयोग करने से पूर्व जिले के उपायुक्त अथवा कलक्टर को दो कैलेण्डर मास की लिखित सूचना देगा जिसमें उस भूमि का, जिसका प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, नाम या स्थिति का वर्णन और विस्तार उस प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके लिए वह अपेक्षित है और पट्टेदार की सूचना मिलने के दो मास के भीतर यदि उपायुक्त अथवा कलेक्टर द्वारा कोई आक्षेप जारी किया जाता है तो उक्त भूमि का प्रयोग पट्टेदार द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि यथाकथित आक्षेप राज्य, सरकार के निर्देश पर वापिस या अधिव्यजन नहीं कर दिया जाता है;

(ध) पट्टेदार सरकारी अनुज्ञप्तियों अथवा पट्टों के किसी भी विद्यमान और भावी धारकों को ऐसी किसी भूमि, में पहुंच हेतु उचित सुविधाएं प्रदान करेगा जो पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में समविष्ट अथवा उससे संलग्न है अथवा उसकी भूमि के माध्यम से पहुंच में है;

परंतु ऐसे अनुज्ञप्तियों अथवा पट्टों के धारको द्वारा, पट्टेदार की संक्रियाओं पर कोई सारभूत अवरोध अथवा हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता के प्रयोग के कारण पट्टेदार को हुई किसी हानि के लिए पट्टेदार को उचित प्रतिकर (जैसा कि परस्पर सहमति हो अथवा असहमति की स्थिति में जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए) का उनके द्वारा संदाय किया जाएगा;

(न) राज्य सरकार अथवा किसी पट्टेदार अथवा राज्य सरकार द्वारा उस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई भूमि में प्रवेश करने का अधिकार होगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए उस पर अथवा आर-पार कोई रेल पथ, ट्राम पथों, सड़क मार्गों अथवा पाइपलाइनों का निर्माण करने का और ऐसे रेल पथों, ट्रामवे, सड़कों अथवा किन्हीं विद्यमान रेल पथों और सड़कों को बनाने, उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उक्त भूमि से, पत्थर, गारा, मिट्टी और अन्य सामग्रियां प्राप्त करने का अधिकार होगा; और

(प) ऐसे किन्हीं रेल पथों, ट्राम पथों, रोड लाइनों और अन्य मार्गों के उपर से अथवा उसके साथ-साथ, हर समय, घोड़ों, पशुओं या अन्य जीव-जंतुओं या ठेलों, वैगनों, वाहनों, सहित या उनके बिना सभी प्रयोजनों के लिए गुजरने की अनुज्ञा देगा;

परंतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य पट्टेदार अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति को प्रयोग करते हुए पट्टेदार की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई विशेष अवरोध अथवा हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य पट्टेदार अथवा व्यक्ति द्वारा सारभूत अवरोध अथवा हस्तक्षेप के कारण पट्टेदार को कारित सभी हानि, अथवा, नुकसान के लिए परस्पर सहमति के अनुसार अथवा असहमति की स्थिति में राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार, उचित प्रतिकर दिया जाएगा;

(फ) पट्टेदार सीमा स्तभों के अधीन निर्माण की रीति के संबंध में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सभी सीमा स्तंभो परिनिर्माण, अनुरक्षण और रखरखाव निम्नानुसार अपने खर्च पर करेगा:-

(i) पट्टा क्षेत्र के प्रत्येक किनारे में सीमा स्तंभ (किनारा स्तंभ) होगा;

(ii) किनारे के स्तंभों के बीच में मध्यवर्ती सीमा स्तंभ इस प्रकार परिनिर्मित किए जाएंगे कि प्रत्येक स्तंभ, उसके दोनो ओर अवस्थित पार्श्वस्थ स्तंभ से दिखाई दे;

(iii) दो पार्श्वस्थ स्तंभों के बीच की दूरी पचास मीटर से अधिक नहीं होगी;

(iv) स्तंभ सतह के ऊपर वर्गाकार पिरामिड फ्रस्टम आकार में और सतह के नीचे क्यूबाइड आकार में होंगे ;

(v) प्रत्येक स्तंभ प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का होगा;

(vi) किनारे के स्तभों का आधार 0.30 मीटर का X 0.30 मीटर होगा और ऊंचाई 1.30 मीटर होगी जिसमें से 0.70 मीटर भूमि स्तर के ऊपर होगा और 0.60 मीटर भूमि के नीचे होगा;

(vii) मध्यवर्ती स्तंभों का आधार 0.25 मीटर X 0.25 मीटर का होगा और ऊंचाई 1.0 मीटर होगी जिसमें से 0.70 मीटर भूमि स्तर से ऊपर होगा और 0.30 मीटर भूमि से नीचे;

(viii) सभी स्तंभों को पीले रंग से रंगा जाएगा और ऊपरी दस सेंटीमीटर को इनेमल पेंट के लाल रंग से रंगा जाएगा और सीमेंट कंक्रीट से भरा जाएगा;

(ix) किनारे के सभी स्तंभों पर, आगे और पीछे के स्तभों की दूरी और अक्षांश और रेखांश को चिन्हित किया जाएगा ;

(x) प्रत्येक स्तंभ के दक्षिणावर्त दिशा में क्रम सख्यांक होगा और संख्यांक को स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जाएगा;

(xi) स्तंभ की संख्या, पट्टे में स्तंभों की कुल संख्या बटे व्यष्टिक स्तंभ संख्या होगी;

(xii) किनारे के सभी सीमा स्तंभों का शीर्ष 15 सेंटीमीटर का वर्ग होगा जिस पर 10 सेंटीमीटर व्यास का स्थायी रंगा हुआ या उत्कीर्ण हुआ गोला होगा और वास्तविक सीमा बिन्दु 90 डिग्री पर खींचे गए दो व्यासों का काट बिन्दु होगा;

(xiii) पट्टा सीमा सर्वेक्षण महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो इस निर्मित विनिर्दिष्ट त्रुटि की सीमा के दायरे में रहते हुए सटीक होगा;

(xiv) स्तभों की अवस्थिति और संख्या और पट्टेदार द्वारा रखे गए सतही और अन्य रेखांकों में दर्शाई जाएगी; और

(xv) पट्टे के भीतर वन क्षेत्र होने की दशा में, सीमा स्तंभों का आकार और निर्माण और रंग भी इस निमित्त वन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट संक्रियाओं के अनुसार होगा" ।

(ब) पट्टेदार को दी गई शक्तियों का उसके द्वारा प्रयोग करते हुए पट्टेदार द्वारा कारित सभी नुकसान अथवा व्यवधान के लिए पट्टेदार इस विषय पर विधि पूर्ण प्राधिकारी द्वारा प्रवृत्त विधि के अनुसार यथा निर्धारित प्रतिकर का संदाय करेगा और राज्य सरकार की ऐसे सभी दावों के लिए, जो ऐसे किसी नुकसान, ऐसे नुकसान, क्षति अथवा व्यवधान के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए हों, तथा उसे जुड़े सभी खर्चों और व्ययों की पूरी तरह और पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा;

(भ) पट्टेदार, यथास्थिति, संबंधित रेल प्रशासन अथवा राज्य सरकार, के समाधान प्रद रूप में खान के किसी भाग को सुदृढ़ बनाएगा और उसको आधार देगा जिसमें उसकी राय में, किसी रेल पथ, जलाश्य, नहर, सडक और अन्य लोक संकर्म अथवा ढांचे की सुरक्षा के लिए ऐसी सुदृढ़ीकरण और आधार अपेक्षित है;

(म) पट्टेदार, अपनी खनन संक्रियाओं के दौरान हुई ऐसी किसी दुर्घटना की जिसमें मृत्यु अथवा गंभीर शारीरिक चोट अथवा संपत्ति को घोर क्षति अथवा जीवन या संपत्ति पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है या संकर कारित होता है, रिपोर्ट बिना किसी विलंब के उपायुक्त अथवा कलक्टर को भेजेगा;

(य) पट्टेदार, पट्टाधृत क्षेत्र में स्थित खान कार्यालय में खनन रेखांक की प्रति सुरक्षित रखेगा;

(यक) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के संबंध में, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, नियोजित नहीं करेगा;

(यख) पट्टेदार केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर पट्टाधृत क्षेत्र के निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और राज्य सरकार, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, द्वारा मांग करने पर पट्टाधृत क्षेत्र की सभी लागू रेखांकों और अनुभागों और साथ ही गुणवत्तावार रिज़र्व की मात्रा भी उन्हें प्रदत्त करेगा;

(यग) पट्टेदार, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट छूट न दी गई हो, गर्तमुख अथवा प्रत्येक गर्तमुख पर या उसके पास; जिस पर खनिज निकाल कर तट पर लाया जायेगा, उचित रूप से निर्मित और सही माप (तौल) प्रणाली/यन्त्रीकरण उपलब्ध करायेगा और सभी समय बनाए रखेगा तथा बट पर लाए गए बेचे गए, निर्यात किए गए, संपरिवर्तित किए गए उक्त सभी खनिजों और संपरिवर्तित उत्पादों की भी समय-समय पर माप-तौल करेगा अथवा माप-तौल कराएगा । पट्टेदार प्रत्येक दिन की समाप्ति पर, उक्त खनिजों, पिछले चौबीस घंटों निकाले गए बेचे गए निर्यात के दौरान और संपरिवर्तित किए गए अयस्क उत्पादों के ऐसे साधनों द्वारा अनिश्चित कुल भार को पट्टेदार

द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों में दर्ज कराएगा । पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान, सभी समयों पर, यथापूर्वोक्त खनिजों की माप-तौल और इसका लेखा रखने और पट्टेदार द्वारा रखे गए लेखाओं की जांच करने के लिए राज्य सरकार को किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को नियोजित करने और उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा । पट्टेदार ऐसा प्रत्येक मापन करने या माप-तौल करने के संबंध में उपायुक्त/कलक्टर को लिखित रूप में सात दिन पूर्व सूचना देगा जिससे कि वह या उसकी ओर से कोई अधिकारी वहां पर उपस्थित रह सके;

(यघ) पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय या हर समय, राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, उपलब्ध कराई जाने वाली और उपर्युक्त अनुसार रखी गई माप-तौल मशीन की तथा उसके साथ प्रयुक्त बाटों की जांच और परीक्षण करने की अनुज्ञा देगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सही और उचित रूप से मरम्मत हुई, अच्छी स्थिति में है । यदि ऐसी जांच अथवा परीक्षण कोई ऐसी माप-तौल मशीन या बाट मरम्मत रूप से या सही नहीं पाई जाती है, तो राज्य सरकार उसको पट्टेदार के खर्च पर ठीक करने, मशीन की मरम्मत कराने और उसे सही कराने की अपेक्षा करेगी । यदि ऐसी अध्यपेक्षा का, उसके किए जाने के पश्चात् अनुपालन चौदह दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार ऐसी माप-तौल मशीन या बाटों को सही रखने के लिए पट्टेदार के खर्च पर मशीन को व्यवस्थित करा सकती है, उसकी मरम्मत करा सकती है, और सही करा सकती है । यदि किसी यथापूर्वोक्त जांच या परीक्षण करने पर, किसी माप-तौल मशीन में या बाट में कोई त्रुटि पाई जाती है जिससे राज्य सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी त्रुटि को, उस माप-तौल मशीन और बाट में त्रुटि उसके पता लगने से अथवा पिछली बार उसकी परीक्षा एवं जांच-पड़ताल करने से तीन कैलेण्डर मास पहले से मौजूद त्रुटि माना जाएगा और यदि यह जांच-पड़ताल तीन मास की उपर्युक्त अवधि के भीतर की गई है तो पट्टेदार को तदनुसार इस निर्मित किराया और स्वामित्व का संदाय करेगा ।

(यड) यदि पट्टेदार, इसके अधीन अथवा पट्टा विलेख के अधीन अपने किसी बाध्यता को इस निर्मित विनिर्दिष्ट समय के भीतर क्रियान्वित करने या उसका पालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन या पालन करा सकेगी और पट्टेदार, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध उपगत किए व्यय सभी व्ययों को मांग किए पर, राज्य सरकार को चुकाना होगा और ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार विनिश्चय अंतिम होगा ।

(यच) पट्टेदार की ओर से, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा खनन पट्टे के अधीन किन्हीं किसी भी निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का पट्टाधारक के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा अथवा उसे पट्टे का भंग नहीं समझा जाएगा यदि ऐसी असफलता को सुसंगत सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण हुआ माना जाता है । अपरिहार्य घटना के कारण, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अथवा खनन पट्टा के अधीन किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा विलंब किए जाने की दशा में, ऐसे विलंब की अवधि को इन नियमों अथवा खनन पट्टे द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा ।

इस खंड में " अपरिहार्य घटना" पद से अभिप्रेत है ऐसा दैवकृत, युद्ध, विप्लव, बल्वा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तूफान, ज्वारीय लहरें, बाढ़, तडित चालन, विस्फोट, आग, भूकंप और कोई अन्य घटना, जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता है; और

(यछ) पट्टेदार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अथवा पट्टा विलेख के अधीन संदेय किरायों, दरों और स्वामित्वों का संदाय करने के पश्चात् पट्टे की समाप्ति अथवा पट्टे की अवधि के शीघ्र पर्यवसित होने पर या उसके पश्चात् छह कैलेण्डर मास (जब तक कि पट्टेदार की चूक के लिए पट्टा पर्यवसित नहीं हो जाता, और उस दशा में ऐसी पर्यवसान के बाद न तो तीन कलेण्डर मास से अन्यून और न ही छह कलेण्डर मास से अधिक) किसी भी समय अपने स्वयं के कायदे के लिए, पट्टा अवधि के दौरान उत्खनित सभी या किसी अयस्क खनिज, इंजन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचना, ट्राम पथ, रेल पथ और अन्य संकर्म, परिनिर्माण और सुविधाओं को ले सकेगा या हटा सकेगा जो पट्टाधृत भूमि में या उस पर पट्टेदार द्वारा परिनिर्मित की गई हो, स्थापित की गई हो या रखी गई हो और जिसे पट्टेदार राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है अथवा जिसे राज्य सरकार क्रय करने की वांछा नहीं करती है;

(यज) यदि पट्टा अवधि की समाप्ति अथवा शीघ्र पर्यवसान के छह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर, पट्टाधृत भवन, ढांचा, ट्राम पथ, रेल पथ और अन्य संकर्म, परिनिर्मितियां और सुविधाएं अथवा ऐसी अन्य संपत्ति बनी रहती है जिसकी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा के अधीन धारित किसी अन्य भूमि में संक्रियाओं के संबंध में पट्टेदार को आवश्यकता नहीं है तो यदि उसे, हटाए जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाने के एक कैलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार द्वारा हटाया नहीं जाता है तो उसे राज्य सरकार की संपत्ति मान लिया जाएगा और उसका उस संबंध में पट्टेदार की क्षतिपूर्ति अथवा हिसाब देने के दायित्व के बिना विक्रय अथवा व्यंजन ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार उचित समझे ।

(2) पट्टेदार, पट्टाधृत क्षेत्र में, पट्टे में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी खनिज के पता चलने की बात की उसके पता चलने की से साठ दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और ऐसे पता चले खनिज का न तो प्राप्त करेगा और न ही उसका व्ययन करेगा :

परंतु नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टे का धारक पता चले खनिज को प्राप्त अथवा उसका व्ययन, पता चलें खनिज को खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित किए जाने का पश्चात् की कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसे खनन पट्टे का, जो नीलामी के माध्यम से अनुदत्त नहीं किया गया है, धारक का, ऐसे पता चले खनिज पर अधिकार नहीं होगा और वह ऐसे खनिज का व्ययन नहीं करेगा । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ऐसे खनिज के संबंध में अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग कर सकती है और ऐसे खनिज के उत्पादन की लागत का खनन पट्टे के धारक को संदाय कर सकती है ।

(3) खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ट की जा सकेंगे जैसी राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक समझी जाए, अर्थात् :-

(क) किराया और स्वामिस्वों के संदाय की समय सीमा, ढंग और स्थान;

(ख) जिस भूमि के संबंध में पट्टा दिया गया है उसको हुए नुकसान के लिए प्रतिकर;

(ग) खाली और अनारक्षित सरकारी भूमि पर पेड़ों को गिराने पर निर्बंधन;

(घ) किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबद्ध किसी क्षेत्र में सतही संक्रियाओं पर निर्बंधन;

(ङ) सतही अधिभोग के लिए पट्टेदार द्वारा नोटिस;

(च) उचित तौल मशीनों का उपबंध;

(छ) पट्टाधृत क्षेत्र अथवा पार्श्वस्थ क्षेत्र में अन्य खनिजों पर कार्य करने के लिए पट्टेदार द्वारा दी जाने वाले सुविधाएं;

(ज) आरक्षित अथवा संरक्षित वन में प्रवेश और कार्य;

(झ) पिट और शैफ्ट को सुरक्षित करना;

(ञ) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना;

(ट) पट्टेदार द्वारा अल्प पक्षकार को पहुंचाए गए किसी नुकसान, अथवा व्यवधान के लिए उसके के प्रति सरकार की क्षतिपूर्ति;

(ठ) पट्टे के अभ्यर्पण, समाप्ति अथवा पर्यवसान पर भूमि और खानों के कब्जा का परिदान;

(ड) खनन पट्टे की समाप्ति, पर्यवसान, अभ्यर्पण अथवा परित्याग के पश्चात् पट्टाधृत क्षेत्र से खनिज, अयस्क, संयंत्र, मशीनरी और अन्य संपत्तियों को हटाने समय सीमा;

(ढ) पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् शेष बची संपत्ति का समपहरण;

(ण) युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में संयंत्र, मशीनरी, परिसर और खानों को कब्जा लेने की शक्ति; और

(त) पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उद्भूत विवादों से संबंधित सिविल वाद अथवा याचिकाएं फाइल करना:

परंतु नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनन पट्टे की स्थिति में, राज्य सरकार खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए नीलामी हेतु निविदा दस्तावेज में ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अथवा केंद्रीय सरकार के कहने पर, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसे खनिज विकास के हित में आवश्यक हों ।

(5) खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर से कम नहीं होगा ।

(6) जब खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किया जाता है, तो पट्टे के अधीन अनुदत्त क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए पट्टेदार के खर्च पर राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी और पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण, कुल स्टेशन और विशेषक वैश्विक अवस्थिति प्रणाली द्वारा किया जाएगा ।

(7) इस नियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन, रहते हुए, पट्टेदार को, उसे पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में, उस भूमि पर निम्न खनन संक्रियाओं के प्रयोजनार्थ अधिकार होगा -

(क) खानों पर कार्य करना;

(ख) पिट और शैफ्ट को सिंक करना और भवनों और सड़कों का निर्माण करना;

(ग) संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण करना;

(घ) उत्खनन करना तथा भवन और सड़क सामग्री अभिप्राप्त करना और ईंटें बनाना;

(ङ) जल का उपयोग करना और काष्ठ प्राप्त करना;

(च) पट्टा लगाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना;

(छ) पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य कार्य करना ।

(8) यदि पट्टेदार, उपनियम (1) के खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन प्रवेश अथवा निरीक्षण की अनुज्ञा नहीं देता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को लिखित में सूचना देकर उसे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न उसके पट्टे को पर्यावसान कर दिया जाए और उसकी कार्यपालन प्रतिभूति को समवहत कर लिया जाए; और यदि पट्टेदार, राज्य सरकार के समाधान प्रद रूप में पूर्वोक्त समय के भीतर कारण बताने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार पट्टे को पर्यवसित कर सकेगी और कार्यपालन प्रतिभूति पूरी अथवा अंशिक रूप से समपहृत कर सकेगी ।

(9) यदि खनन पट्टे का धारक को अवैध खनन का सिद्धदोष ठहराया जाता है तथा किसी भी न्यायालय का कोई ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसमें ऐसे दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबि रखने के लिए किसी भी न्यायालय में ऐसे दोषसिद्धि के विरूद्ध मामला अपील में लंबित नहीं हो, तो राज्य सरकार, ऐसी किसी भी अन्य कार्यवाही पर, जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए बने नियमों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और पट्टेदार को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, ऐसे खनन पट्टा को रद्द कर सकेगी और संपूर्ण कार्यपालन प्रतिभूति अथवा उसके कुछ भाग को समपहृत कर सकेगी;

(10) यदि पट्टेदार, धारा 9 के अधीन यथा अपेक्षित स्वामिस्व का संदाय अथवा धारा 9क के अधीन यथा अपेक्षित अनिवार्य किराए का संदाय अथवा धारा 9ख अथवा धारा 9ग के अधीन यथा अपेक्षित धनराशि के संदाय अथवा खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 13 के अधीन सदायों में कोई चूक करता है अथवा उपनियम (1), (2), (3), और (4) में विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों का भंग करता है, तो राज्य सरकार पट्टेदार को सूचना देकर यथास्थिति, स्वामिस्व अथवा अनिवार्य किराए का संदाय करने अथवा भंग का उपचार करने कि सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर स्वामिस्व अथवा अनिवार्य किराए का संदाय करने की अपेक्षा करेगी और यदि उक्त अवधि के भीतर स्वामिस्व या अनिवार्य किराए का संदाय नहीं किया जाता है अथवा भंग का उपचार नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरूद्ध की जा सकती है, पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी और कार्यपालन प्रतिभूति को पूर्णत: अथवा आंशिक तौर पर समपहृत कर सकेगी ।

अध्याय-5 : खनन योजना तैयार करना और प्रमाणन प्रणाली

13. खनन योजना :- (1) ऐसी कोई भी खनन संक्रियाएं, खनन योजना के अनुसार ही आरंभ की जाएगी, अन्यथा नहीं, जिसे :

(क) जो धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में और इन नियमों के नियम 15,16 और 17 के अनुसार महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो के किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो, अथवा

(ख) जो धारा 5 की उपाधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अनुसरण में खनन योजना को तैयार करने, उसका प्रमाणन करने और उसे मानिटरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के अनुसार हो ।

(2) खनन योजना में निम्नलिखित समाविष्ट होगा : -

(क) पट्टा धृत क्षेत्र की योजना, जिसमें ऐसे खनिज समूह, स्थल या स्थलों की प्रकृति और विस्तार को दर्शाया गया हो, जहां आवेदक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित पूर्वेक्षण डाटा पर आधारित खनन संक्रियाएं प्रस्तावित हैं;

(ख) क्षेत्र के खनिज संसाधनों और भंडारों सहित क्षेत्र के भूविज्ञान और प्रस्तर विज्ञान का ब्यौरा;

(ग) प्रस्तावित गवेषण कार्यक्रम का ब्यौरा,

(घ) उत्खनन, वेधन और विस्फोटन की, अपशिष्ट और खनिज अवशिष्ट के निस्तारण, खनिज उपयोग और खनिजों का सज्जीकरण, स्थल सेवाओं, नियोजन संभाव्यताओं की पद्धति सहित खनन संक्रियाओं के ढंग का ब्यौरा;

(ङ) आधार रेखा सूचना, प्रभाव निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों को उपदर्शित करते हुए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना,

(च) खनन और का वार्षिक कार्यक्रम की संभावित योजना और पाँच वर्ष के लिए वर्षवार उत्खनन और योजना,

(छ) खान अवशिष्ट को एकत्र करने के बारे में अनंतिम अनुमान तथा उसके व्ययन और परिरोध की रीति और ढंग;

(ज) टेलिंग व्ययन के ढंग सहित खनिज प्रसंस्करण और खनिज उच्च श्रेणीकरण की रीति, यदि कोई हो,

(झ) धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित प्रगामी खान बंदी योजना, और

(ञ) अन्य कोई बात जिसका खनन योजना में उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार या भारतीय खान ब्यूरो आवेदक से अपेक्षा करे।

(3) खनन योजना, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में तैयार किए पुस्तिका के अनुसार बनाई जाएगी ।

14. खनन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रणाली : -

(1) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अनुसरण में खनन योजना तैयार करने, उसका प्रमाणन करने और मानिटर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रणाली केंद्रीय सरकार को उसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रणाली में कोई उपांतरण करने के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुमोदन अथवा उपर्युक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के उपांतरण के लिए प्राप्त प्रस्ताव का, ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर, उपांतरणों सहित या उनके बिना निपटारा करेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे अनुमोदन को, लेखबद्ध किए जाने वाले और राज्य सरकार को सम्यक रूप से संसूचित किए जाने वाले कारणों से प्रतिसंहृत कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली को आवधिक किंतु पांच वर्ष के अपश्चात् पुनर्विलोकन कर सकेगी ।

15. खनन योजना तैयार करना - (1) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक खनन योजना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो,

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्थान भी हैं, द्वारा प्रदत्त खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा दी गई और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता और

(ख) डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन के क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षण हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का वृतिक अनुभव ।

(2) खनन योजना में उपांतरण खनन योजना तैयार करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(3) पट्टेदार को यह सुनिश्चित करने की बाध्यता होगी कि खनन योजना, इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विहित पुस्तिका के अनुसार बनाई जाए।

(4) इन नियमों के नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट किसी खनन योजना को तैयार और उसमें उपांतरण, केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा ।

16. खनन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया - (1) खनन योजना नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।